

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/ III - 252/643

दिनांक: 18/4/13

सेवा में,

मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड,

सेक्टर : 128

नोएडा

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 17-09-2012 संदर्भ में आपके द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे (पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे) के अन्तर्गत निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट के प्राविधानों के तहत सेक्टर - 151, नोएडा में हस्तान्तरित भूमि पर ग्रुप हाउसिंग (अमन) विकसित करने के लिए निर्धारित आवासीय उपयोग के भवन निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव(प्रोजेक्टेड) न हों।
6. विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसिफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. कार्यदायी संस्था द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था नोएडा प्राधिकरण के प्ररियोजना अभियन्ता के साथ समन्वय करने एवं निरीक्षण के उपरान्त ही संस्था उसे ढकेगी।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते संस्था को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 23.03.11 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
16. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

17. योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए किसी भी दशा में भू-गर्भ जल दोहन केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण से अनापत्ति पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।
18. योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए नौएडा प्राधिकरण से जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी ।
19. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार करनी होगी एवं भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए नौएडा प्राधिकरण से जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी ।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंगन है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन को प्रयोग में नहीं ले सकते है ।

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

Sl. No.	LAND USE DESTRIUTION	AREA (ACRES)	%age
1.	RESIDENTIAL	603.27	58.60
2.	COMMERCIAL	21.53	2.09
3.	INSTITUTIONAL & COMMUNITY FACILITIES	105.56	10.25
•	COMMUNITY FACILITIES 20.81 Acre(2.02)		
•	HEALTH 26.34 Acre(2.56)		
•	INSTITUTIONAL 58.41 Acre(5.67)		
4.	RECREATIONAL	154.43	15.00
5.	ROADS AND TRANSPORATION	144.75	14.06
	TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN RESIDENTIAL ZONE	1029.55	100.00
	TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN COMMERCIAL IN SECTOR-129	43.29	
	TOTAL LAND AREA	1072.84	

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर-151 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

Sl. No.	LAND USE DESTRIUTION	AREA (ACRES)	%age
1.	Roads and Transportation	7.809	12.00
2.	Recreational Green	9.762	15.00
3.	Commercial	2.603	4.00
4.	Institutional/Facilities	8.421	12.94
5.	Residential	36.485	56.06
	Total	65.08 Acres or 26.35 Hectares	100%

- सैक्टर - 151 में कुल हस्तान्तरित भूमि = 2,63,500.00 वर्ग मीटर
- कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण योजना में कुल हस्तान्तरित भूमि $1072.84 + 65.08 = 1137.92$ एकड (46,05,100.00 वर्ग मी0)
- कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत कुल हस्तान्तरित भूमि (1137.92 एकड = 46,05,100 वर्ग मी0) पर अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 1.5 = 69,07,650.00 वर्ग मी0
- योजना (सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134) = 24,41,347.073 वर्गमी0
आवासीय उपयोग हेतु कुल निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल (603.27 एकड.)

(Handwritten signatures and initials)

- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40%
(वर्तमान में प्रचलित भवन विनियमावली के अनुसार)
- अनुमन्य एफ.ए.आर. (आवासीय उपयोग हेतु निर्धारित भूमि 603.27 एकड़.) के सापेक्ष में अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 2.0 (प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 11.08.08 में लिए गये के अनुरूप

= 9,76,538.820 वर्ग मी०
= 48,82,694.146 वर्ग मी०

कार्यदायी संस्था द्वारा अमन, सैक्टर - 151 के लिए विभिन्न तलों पर किये गये पुनरीक्षित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	पूर्व स्वीकृत क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	पुनरीक्षित क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
भूतल	13879.500	16085.734
प्रथम तल	15719.222	18364.031
द्वितीय तल	15719.222	18364.031
तृतीय तल	15719.222	18364.031
चतुर्थ तल	15719.222	18364.031
पंचम तल	15719.222	18364.031
छटवां तल	15719.222	18364.031
सातवां तल	15719.222	18364.031
आठवां तल	15719.222	18364.031
नौवां तल	15719.222	18364.031
दसवां तल	15719.222	18364.031
ग्याहरवां तल	15719.222	18364.031
बरहवां तल	15719.222	18364.031
तेहरवां तल	15719.222	18364.031
चौदहवां तल	14011.472	16656.281
पन्द्रहवां तल	14011.472	16656.281
सोलहवां तल	14011.472	16656.281
सत्रहवां तल	14011.472	16656.281
अट्ठारहवां तल	14011.472	16656.281
उन्नीसवां तल	14011.472	16656.281
बीसवां तल	11782.227	14470.089
इक्कीसवां तल	7728.035	10137.227
बाईसवां तल	2778.742	3499.883
कनौपी (एफ०ए०आर०)	...	670.073
कुल एफ.ए.आर.	324587.222	383533.095
तहखाना		
प्रथम तहखाना	69302.777	71131.512
द्वितीय तहखाना	70948.126	72776.861
कुल तहखाना क्षेत्रफल	140250.903	143908.373
कनौपी (नॉन एफ०ए०आर०)		115.000
स्टिल्ट तल	2751.79	---
सेवा क्षेत्रफल	30,461.90	39,512.220

कुल क्षेत्रफल (तहखाना, स्टिल्ट तल एवं सेवा क्षेत्रफल सहित)	56,7,068.690
पूर्व में स्वीकृत कुल क्षेत्रफल (तहखाना, स्टिल्ट तल एवं सेवा क्षेत्रफल सहित)	= 324587.222 + 140250.903 + 2751.79 + 30,461.90 = 4,98,051.815 वर्ग मी०
कुल पुनरीक्षित क्षेत्रफल (तहखाना, कैनोपी एवं सेवा क्षेत्रफल सहित)	= 383533.095 + 143908.373 + 115.00 + 39,512.220 = 56,7,068.690 वर्ग मी०

एफ०ए०आर० विवरण-

Sl. No.	Description		Land Use	Date of Approval	Approved FAR (Sqm.) by NOIDA till date	Comm. Approved FAR area (Sqm.)	Revised FAR	Balance FAR (Sqm.)
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Primary School	I-3/1	Institutional	24.11.08	10026.23	10026.230		68,97,623.77
2.	Secondary School	I-2/1	Institutional	24.11.08	14006.13	24032.360		68,83,617.64
3.	Group Housing Kalypso & Imperial Tower	B1/B2/B3	Residential	24.03.09	323628.295	347660.655		65,59,989.34 5
4.	Group Housing (PH-1,PH-2,PH-3,PH-4,PT-1,PT-2,TH-1 & TH-2)	B4	Residential	29.10.09	253144.64	600805.295		63,06,844.70 5
5.	Group Housing (Revise)	B1, B2, B3	Residential	11.10.11	(323628.295)	620789.370	343612.373 (19984.075)	62,86,860.62 7
6.	Group Housing Aman	151	Residential	20.10.11	324587.222	945376.592		59,62,273.40 5
7.	Group Housing Kosmos	B-35, 36,37,38, 41B & 43	Residential	01.11.11	7,53,831.85	16,99,208.44		52,08,441.55 5
8.	Primary School revised	I-3/1	Institutional	18.11.11	(10026.23)	1702188.71	13006.50 (2980.27)	5205461.285
9.	Secondary School (Revise)	I-2/1	Institutional	18.11.11	(14006.13)	1707310.55	19127.97 (5121.84)	5200339.445
10.	Group Hosing Klassic	B-39 and B-40	Residential	25.11.11	110584.39	1817894.94		5089755.055
11.	Group Hosing Klassic IB & ONGC	B-45	Residential	19.01.12	88255.377	1906150.317		4939516.118
12.	Group Hosing Knight Court	B-5	Residential	19.01.12	70085.67	1976235.987		4931414.008
13.	Group Hosing Klassic	B-41A and B-42	Residential	02.03.12	153121.255	2129357.242		4778292.753
14.	Group Hosing Kensington Park & Boulevard	B-12,13,14, 15,16,17 & 18	Residential	26.03.12	500017.7 4	2629374.982		4278275.013
15.	Group Hosing Klassic Heights	B-34A	Residential	12.10.12	112407.13	2741782.112		4165867.883
16.	Group Hosing Kasa Isles	B-44	Residential	12.10.12	206603.10	2948385.212		3959264.783
17.	Group Hosing Augusta Townhomes	B-6 and B-7	Residential	12.10.12	21692.23	2970077.442		3937572.553
18.	Group Hosing Klassic Shaurya	B-45	Residential	12.10.12	39288.947	3009366.389		3898283.606
19.	Group Hosing Kallisto Court Townhomes	B-9A	Residential	12.10.12	18008.76	3026918.899		3880274.846
20.	Group Hosing Kingswood Oriental	B-27 and B-28	Residential	12.10.12	63222.69	3086039.589		3817052.156

[Handwritten signature and initials]

21.	Group Housing Aman, Sector 151	Revised	Residential	-----	(324587.222)	3144985.462	383533.095 (58945.873)	3758106.283
					3144985.462			

- पुनरीक्षित भू-आच्छादित क्षेत्रफल = 20772.950 वर्ग मी०
- पुनरीक्षित एफ०ए०आर० = 383533.095 वर्ग मी०

Map for proposed Building is per Bye
Laws. Submitted for approval please.

Pl. Asstt. Asstt. Arch. Architect

नाम.....
पद... श्री. ए. देवपुजारी
मुख्य नौएडा नियोजक
नौएडा

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य परियोजना अभियन्ता, नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
2. तहसीलदार, नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
3. मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड की नियोजन विभाग की मास्टर फाइल में रिकार्ड update करने हेतु ।